न्यायालय सहायक कलेक्टर सांचौर जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 10/2025 **जीसीएमएस नम्बर 2025/29**

अनवान

1. पांचाराम पुत्र हरजी।
2. मगनाराम पुत्र हरजी जातियान कुम्हार निवासीगण मेड़ा तहसील सांचौर जिला जालोर।

प्रार्थीगण..........

1. मोतीराम पुत्र जीवाराम जाति कलबी निवासी दाता तहसील सांचौर जिला जालोर।
2. लेहरी पुत्र हरजी जाति कुम्हार निवासी मेड़ा तहसील सांचौर जिला जालोर ।
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांचौर

अप्रार्थीगण............

प्रार्थना पत्र बाबत बंटवाडा एवं जारी करने अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

रजु तारीखः–18.02.2025

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर अधिवक्ता श्री सोहनलाल नैण।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सगताराम चौधरी।
3. अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्रीपाल दवे।

–:निर्णयः–

दिनांकः– **01.12.2025**

1. प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि:– प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 2 लेहरी, स्व. हरजी पुत्र मूला कुम्हार की जायज वारिस हैं। मौजा मेड़ा जागीर के खसरा नंबर 1706/1690 रकबा 1.5780 है., 1705/1690 रकबा 0.20 है., एवं 1679/684 रकबा 0.0720 है., जो पुराने खसरा 328 से नवसृजित हैं। यह पुश्तैनी पैतृक भूमि प्रार्थीगण के हिस्से में आई व उनका कब्जा काश्त है, इसलिए दावा इस्तिकरार–हक का प्रस्तुत है। अप्रार्थीया लेहरी का विवाह 40 वर्ष पूर्व कोड़ निवासी [illegible] से हो जाने के बाद उसने उक्त भूमि में अपना संभावित हिस्सा प्रार्थीगण के पक्ष में त्याग [illegible] अतः उपरोक्त भूमि पर प्रार्थीगण ही वास्तविक कब्जाधारी व उत्तराधिकारी हैं। [illegible] कृष्णराम ने उक्त भूमि को हड़पने की नियत से एक फर्जी एवं कूटरचित बैचाननामा बनवा[illegible] अवैध नामांतकरण अपने नाम करवाया, जबकि स्व. हरजी ने उनके पक्ष में कोई दस्तावेज जारी नहीं किया व न ही कब्जा दिया। अतः उक्त बैचाननामा विधि–विरुद्ध व प्रारम्भ से ही शून्य है। प्रार्थीगण ने इनके विरुद्ध एस.सी.एम. न्यायालय सांचौर में वाद संख्या 59/2007 एवं धारा 212 आरटीए एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र संख्या 47/2007 दायर किया, जिसमें भूमि की यथास्थिति बनाये

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2026.01.22 11:43:50 IST
Reason: SelfAttested

रखने की अंतरिम निषेधाज्ञा जारी हुई। कब्जा काश्त प्रार्थीगण का ही रहा है। वाद लंबित रहने के दौरान दिनांक 12.02.2021 को भूमि अप्रार्थी संख्या 1 को अवैध रूप से बेच दी व नामांतरण संख्या 848 उनके पक्ष में करवा लिया, जबकि उनका कोई कब्जा कभी नहीं रहा। यह बैचाननामा भी विधि–विरुद्ध व प्रभावहीन है। चार दिन पूर्व अप्रार्थीगण द्वारा धमकी देकर भूमि खाली करवाने का प्रयास भी किया गया। उक्त भूमि पुश्तैनी है, प्रथम मिसल बन्दोबस्त से स्व. हरजी के नाम से चली आ रही है तथा प्रार्थीगण ही वास्तविक वारिस व कब्जाधारी हैं। सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है और बेदखली की स्थिति में अपूरणीय क्षति होगी। स्थायी निषेधाज्ञा का वाद भी प्रस्तुत है। अतः निवेदन है कि मौजा मेड़ा जागीर के खसरा नंबर 684 (1.85 है.) से नवसृजित खसरा संख्या 1705/1690, 1706/1690 एवं 1689/684 कुल रकबा 1.85 है. पर अप्रार्थीगण स्वयं कोई दखल न दें, न किसी अन्य से करावें, तथा मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड में यथास्थिति बनाये रखने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैसल मूल वाद तक जारी की जाये।

2. उक्त प्रकरण दिनांक 18.02.2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भिजवाकर तलब किया, अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सगताराम चौधरी उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री श्रीपाल दवे उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से कोई जवाब पेश नहीं किये जाने पर जवाब बंद किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब पेश किया जिसके सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीया लेहरी हरजी की संतान है या नहीं इस संबंध में प्रार्थीगण द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह तथ्य प्रार्थीगण स्वयं अपनी साक्ष्य से सिद्ध करें।

खसरा संख्या 1706/1690, 1705/1690 व 1679/684 भूमि मेड़ा जागीर में स्थित होना एवं इनका पुराने खसरा 328 से नवसर्जित होना सही है। किन्तु शेष वर्णन अस्वीकार है। इस भूमि पर न तो प्रार्थीगण का और न ही लेहरी का कोई कब्जा–कास्त या हक–हकूक है। मूल खातेदार हरजी पुत्र मूला था। वर्ष 2014 में पारिवारिक बंटवारे (आदेश क्रमांक 2014/46 दिनांक 28.03.2014) में खसरा 887 रकबा 4.12 है. प्रार्थीगण को दिया गया, जो आज भी उनके नाम दर्ज है। खसरा 684 हरजी के हिस्से में रहा, जिसे हरजी ने अपनी आवश्यकताओं हेतु दिनांक 14.08.2007 को सदीकशाह व कृष्णराम को वैधानिक रूप से बेचकर कब्जा सुपुर्द कर दिया। इसके बाद 21.11.2014 को उक्त भूमि [illegible] कीरमाराम द्वारा अप्रार्थी मोतीराम को बेची गई। वर्तमान कब्जा मोतीराम का [illegible] अतः प्र[illegible] पत्र निराधार व खारिज योग्य है। लेहरी ने न तो न्यायालय [illegible] और न ही उसका कोई कब्जा–कास्त सिद्ध होता है। बंटवारे के समय भी प्रार्थीगण ने लेहरी के किसी हिस्से का दावा नहीं किया। अतः अवतरण में वर्णित तथ्य निरर्थक एवं विधिक मान्यता–रहित हैं। वाद संख्या 59/2007 न्यायालय द्वारा पूर्व में खारिज किया जा चुका है, जिसकी कोई चाराजोई नहीं की गई। रेकॉर्ड का रद्दोबदल स्वयं प्रार्थीगण व हरजी द्वारा पारिवारिक बंटवारे के आधार पर कराया गया था। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार योग्य है। अंतरिम निषेधाज्ञा के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2026.01.22 11:43:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

दौरान यदि कोई विक्रय हो तो वह अंतिम निर्णय के अधीन माना जाता है, परंतु यहाँ पूर्व वाद ही खारिज हो चुका है। मोतीराम उस वाद में पक्षकार भी नहीं था। कृष्णराम/सदीकशाह ने भूमि वीरमाराम को तथा वीरमाराम ने बाद में मोतीराम को विधिवत बेची। मौके पर कब्जा भी मोतीराम का ही पाया गया। खसरा 1705/1690 रकबा 0.20 है. का संपरिवर्तन वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु विधिवत किया गया। अतः वाद चलने योग्य नहीं है। अप्रार्थी ने भूमि विधिवत खरीदी, कब्जा प्राप्त किया तथा संपरिवर्तन भी नियमपूर्वक किया है। प्रार्थीगण को पैतृक हक पहले ही पारिवारिक बंटवारे से मिल चुका है। अतः दावा निराधार है। अवतरण संख्या 9 एवं 10 दोनों अवतरण गलत होने से अस्वीकार। वादग्रस्त भूमि के रेकॉर्डेड खातेदार एवं कब्जाधारक अप्रार्थी मोतीराम हैं। अस्थायी निषेधाज्ञा के सभी मानदंड प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन और अपूरणीय क्षति अप्रार्थी के पक्ष में हैं। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खर्च व हर्जाना सहित खारिज करने की कृपा करें।

4. बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई एवं उस पर मनन किया गया। हमने पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अध्ययन किया तथा संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। अतः हम प्रकरण को अस्थाई व्यादेश से संबंधित निम्नलिखित तीन सारभूत बिन्दुओं के आधार पर निवेचन करते हुए निर्णित करना उचित समझते है :—

5. **प्रथम दृष्टया मामला** :— प्रार्थीगण द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी संयुक्त परिवार की पुश्तैनी पैतृक पारिवारिक आराजी एवं प्रार्थीया के हिस्से एवं बंट में आई होने तथा कब्जा काश्त होने का कथन करते हुए प्रार्थना पत्र वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया है प्रार्थीगण ने बताया कि अप्रार्थी संख्या 1 ने सदीकशा एवं कृपाराम से मिलावट कर विचाराधीन वाद के विचारण के एवं अंतरिम निषेधाज्ञा प्रभावी रहने के दौरान उक्त आराजी का दिनांक 12.02.2021 को अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में अवैध बैचाननामा निष्पादित करवा कर उक्त अवैध व विधि विरूद्ध बैचाननामा दिनांक 12.02.2021 की रूह से उक्त आराजी का नामान्तरकरण संख्या 848 अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में स्वीकृत करवाकर राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम की खातेदारी अवैध रूप से इन्द्राज दुरस्त करवा दिया, जबकि मौके पर कोई कब्जे का हस्तांतरण नहीं किया। उक्त आराजी प्रार्थीगण की पुश्तैनी पैतृक आराजी होने से कब्जा काश्त प्रार्थीगण का है तथा उक्त आराजी को स्व. हरजी द्वारा किसी तीसरे पक्षकार को बैचान करने का कोई विधि सम्मत् अधिकार नहीं था। पत्रावली एवं उस पर मौजूद दस्तावेजात् के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त वादग्रस्त आराजी के वर्तमान राजस्व अभिलेखों में अप्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार है तथा साथ ही वादग्रस्त आराजी के खसरा संख्या 1705/1690 व 1706/1690 जो अप्रार्थी संख्या 1 के नाम वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ हेतु आवंटित [illegible] वादग्रस्त आराजी से संबंधित हकहकुकों का निर्धारण मूल [illegible] सबुतो के आधार पर होगा। राजस्व मण्डल ने अपने अनेक न्याय निर्णयन में यह निर्धारित किया है कि रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती है। इस प्रकार अप्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार होने से तथा वादग्रस्त आराजी के खसरा संख्या 1705/1690 व 1706/1690 विशेष प्रयोजन के लिए आवंटित/ संपरिवर्तित होने से प्रथम मामला में अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूब सिद्ध होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2026.01.22 11:43:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

6. **सुविधा का संतुलन** :– प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी पर स्वयं का काश्त कब्जा होना कथन किया है, परन्तु पत्रावली पर इसका कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, अप्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदार एवं उनका निरन्तर कब्जा है। इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में भली--भांति सिद्ध होता है।

7. **अपूर्णीय क्षति** :– पूर्व विवेचित बिन्दु प्रथम दृष्ट्या मामला एवं सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित हो चुका है वादग्रस्त आराजी पर स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से रिकॉर्डेड खातेदार का कृषि आदान अनुदान, बैक से ऋण प्राप्ति, रहनमुक्ति, कृषि भूमि के विभाग एवं विशेष प्रयोजनार्थ के लिए आवंटित/सम्परिवर्तित के उद्देश्य आदि से वंचित हो जायेंगे। इस प्रकार खातेदार को अपूरर्णीय क्षति कारित हो सकती है, अतः यह बिन्दु बहक अप्रार्थी साबित होता है।

8. अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी के संबंध में रिकॉर्डेड खातेदारान् के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना उचित एवं विधि संगत नहीं समझते है।

–:: आदेश ::–

9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के तीनों कानूनी बिन्दु अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध/साबित होने से खारिज किया जाता है पत्रावली इसी मुताबिक फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर, सांचौर
उपखण्ड अधिकारी सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

निर्णय आज दिनांक 01/12/2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2026.01.22 11:43:50 IST
Reason: SelfAttested